

## नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मांग संख्या 69

## नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	1006.13	13.14	1019.27	1419.50	14.55	1434.05	325.02	13.44	338.46	846.00	15.39	861.39	
पूँजी	81.00	...	81.00	99.50	...	99.50	99.50	...	99.50	95.00	...	95.00	
जोड़	1087.13	13.14	1100.27	1519.00	14.55	1533.55	424.52	13.44	437.96	941.00	15.39	956.39	
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	14.97	12.64	27.61	19.00	13.90	32.90	20.00	12.79	32.79	23.00	14.14	37.14
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा													
2. ग्रिड-इंटरएक्टिव और प्रसारित अक्षय विद्युत													
2.01 ग्रिड-इंटरएक्टिव और प्रसारित अक्षय विद्युत	2810	874.54	...	874.54	910.00	...	910.00	1144.83	...	1144.83	1949.00	...	1949.00
2.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	2810	-125.78	...	-125.78	...	...	...	-1116.31	...	-1116.31	-1487.50	...	-1487.50
कुल		748.76	...	748.76	910.00	...	910.00	28.52	...	28.52	461.50	...	461.50
3. ग्रामीण अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	2810	95.53	...	95.53	92.90	...	92.90	84.72	...	84.72	97.50	...	97.50
	3601	21.00	...	21.00	25.00	...	25.00	19.03	...	19.03	35.00	...	35.00
जोड़		116.53	...	116.53	117.90	...	117.90	103.75	...	103.75	132.50	...	132.50
4. शहरी, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	2810	15.17	...	15.17	21.00	...	21.00	10.10	...	10.10	14.00	...	14.00
5. अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास													
5.01 अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास													
5.01.01 अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास	2810	100.23	...	100.23	139.50	...	139.50	130.00	...	130.00	149.50	...	149.50
5.01.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	2810	...	...	...	...	...	...	-35.70	...	-35.70	-90.50	...	-90.50
कुल		100.23	...	100.23	139.50	...	139.50	94.30	...	94.30	59.00	...	59.00
5.02 अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास	4810	5.00	...	5.00	18.50	...	18.50	18.50	...	18.50	...	...	...
जोड़- अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास		105.23	...	105.23	158.00	...	158.00	112.80	...	112.80	59.00	...	59.00
6. सहायक कार्यक्रम													
6.01 विदेशी सहायता (ईएपी)	2810	1.00	...	1.00	10.00	...	10.00	6.30	...	6.30	8.00	...	8.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
6.02 घरेलू सहायता	2810	23.79	0.50	24.29	41.00	0.65	41.65	36.83	0.65	37.48	54.00	1.25	55.25
जोड़- सहायक कार्यक्रम		24.79	0.50	25.29	51.00	0.65	51.65	43.13	0.65	43.78	62.00	1.25	63.25
7. अन्य व्यय	2810	3.35	...	3.35	9.00	...	9.00	3.00	...	3.00	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		3.35	...	3.35	9.00	...	9.00	3.00	...	3.00	...	...	...
8. सार्वजनिक उद्यमों में निवेश													
8.01 सार्वजनिक उद्यमों में निवेश	4810	76.00	...	76.00	81.00	...	81.00	181.00	...	181.00	95.00	...	95.00
8.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	4810	...	...	...	...	...	...	-100.00	...	-100.00	...	...	...
कुल		76.00	...	76.00	81.00	...	81.00	81.00	...	81.00	95.00	...	95.00
<b>जोड़-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा</b>		<b>1089.83</b>	<b>0.50</b>	<b>1090.33</b>	<b>1347.90</b>	<b>0.65</b>	<b>1348.55</b>	<b>382.30</b>	<b>0.65</b>	<b>382.95</b>	<b>824.00</b>	<b>1.25</b>	<b>825.25</b>
9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान													
9.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	152.10	...	152.10	83.37	...	83.37	94.00	...	94.00
9.02 घटाइए - राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से पूरी की गई राशि	2552	...	...	...	...	...	...	-61.15	...	-61.15	...	...	...
कुल		...	...	...	152.10	...	152.10	22.22	...	22.22	94.00	...	94.00
10. वास्तविक वसूलियां	2810	-17.67	...	-17.67	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>		<b>1087.13</b>	<b>13.14</b>	<b>1100.27</b>	<b>1519.00</b>	<b>14.55</b>	<b>1533.55</b>	<b>424.52</b>	<b>13.44</b>	<b>437.96</b>	<b>941.00</b>	<b>15.39</b>	<b>956.39</b>
विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	जोड़
<b>ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>													
9.01 भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	12810	60.00	1894.36	1954.36	60.00	2394.00	2454.00	45.00	2966.23	3011.23	40.00	3000.00	3040.00
9.02 भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा निगम	12810	16.00	...	16.00	21.00	...	21.00	36.00	...	36.00	55.00	...	55.00
<b>जोड़</b>		<b>76.00</b>	<b>1894.36</b>	<b>1970.36</b>	<b>81.00</b>	<b>2394.00</b>	<b>2475.00</b>	<b>81.00</b>	<b>2966.23</b>	<b>3047.23</b>	<b>95.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>3095.00</b>
<b>ग. योजना परिव्यय*</b>													
1. नवीन तथा नवीकरणीय उर्जा	12810	1088.58	1894.36	2982.94	1368.90	2394.00	3762.90	404.30	2966.23	3370.53	847.00	3000.00	3847.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	152.10	...	152.10	22.22	...	22.22	94.00	...	94.00
<b>जोड़</b>		<b>1088.58</b>	<b>1894.36</b>	<b>2982.94</b>	<b>1521.00</b>	<b>2394.00</b>	<b>3915.00</b>	<b>426.52</b>	<b>2966.23</b>	<b>3392.75</b>	<b>941.00</b>	<b>3000.00</b>	<b>3941.00</b>
*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन													
मांग संख्या 104	12810	1.45	...	1.45	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	...	...	...

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय हेतु प्रावधान है।
2. **ग्रिड-इंटरएक्टिव और वितरित अक्षय विद्युत:** लगभग 3770 मेगावाट ग्रिड-इंटरएक्टिव, पवन से विद्युत क्षमता समावेश, लघुपन, बायोमास विद्युत/सह-सृजन, ऊर्जा और सौर विद्युत के लिए शहरी और औद्योगिक अवशिष्ट के लिए सीएफए का प्रावधान ; और लगभग 150 मेगावाट समकक्ष ऑफ ग्रिड/संवितरित अक्षय विद्युत प्रणालियों का नियोजन। सौर पम्पों (400 करोड़ रूपए), सौर ऊर्जा पार्कों (500 करोड़ रूपए) और सिंचाई नहरों के निकट सौर पार्कों (100 करोड़ रूपए) के लिए नई योजनाओं को शुरू करना भी प्रस्तावित है। इसमें अनुसूचित जाति लाभार्थियों हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता भी शामिल है।
3. **ग्रामीण अनुप्रयोगों हेतु अक्षय ऊर्जा:** इस प्रावधान का उपयोग 1.10 लाख परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों का निर्माण करने और कुक स्टोव पर एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने हेतु किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान भी शामिल है।
4. **शहरी, औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों हेतु अक्षय ऊर्जा:** सौर तापीय प्रणालियों की संस्थापना तथा ऊर्जा दक्ष भवनों को बढ़ावा देना और सौर शहरों के लिए मास्टर योजनाएं (मास्टर प्लान)।
5. **अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान, डिजाइन और विकास:** नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान और विकास कार्यकलाप; एमएनआरई के केन्द्रों/संस्थाओं (राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, सी-वैट और एनआईआरई) को सहायता; मानक एवं परीक्षण; अक्षय ऊर्जा संसाधन मूल्यांकन (सौर मिशन के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यकलाप सहित)
6. **सहायक कार्यक्रम:** अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की सूचना, प्रचार और विस्तार (आईपीई) ; अंतर्राष्ट्रीय संबंध ; मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण सहित प्रशासन एवं मॉनीटरिंग ; राज्यों को सहायता (सौर मिशन के अंतर्गत आरंभ किए जाने वाले मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण कार्यकलाप सहित) ।
7. **अन्य व्यय:** 11वीं योजना के कार्यक्रमों की विभिन्न देयताओं का प्रबंध करना।
8. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश:** इसमें भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था (इरेडा) को इक्विटी सहायता हेतु प्रावधान शामिल है जिसे विभिन्न नई और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं एवं स्कीमों तथा इस मंत्रालय के अंतर्गत सैक्शन 25 कंपनी, भारतीय राष्ट्रीय सौर ऊर्जा निगम की भी सहायता करने के लिए स्थापित किया गया था।
9. **पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम हेतु प्रावधान:** इसमें मंत्रालय के अलग-अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान शामिल है।